

BHARTIYA DEGREE COLLEGE

Chamdhera Road, Mahendergarh(Hry.)

Affiliated by MDU Rohtak & Approved by Govt. of Haryana

E-mail : bhartiyaegreecollege@gmail.com

=====

Ref. No.- Bde/25/118

Date: 14/11/25

To

The Superintendent (Colleges)
for D.C.D.C.

Maharshi Dayanand University, Rohtak

Subject: Submission of Copy of Advertisement for Uploading on University Website

Respected Sir/Madam,

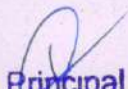
With reference to University letter No. CB-3/CB-7/CB-8/3318-3602 dated 10.02.2020 regarding submission of a copy of advertisements published by the College/Institute for making appointments of Teaching and Non-Teaching Staff within seven days of its publication, this is to inform you that Bhartiya Degree College, Mahendergarh has published an advertisement for recruitment of staff on dated 04-11-2025 in these New Papers (Amar Ujjala, Punjab Kesari, The Time of India)

Accordingly, we are submitting herewith a copy of the said advertisement for your kind information and for uploading the same on the University website as per the above-mentioned instructions.

You are requested to kindly take necessary action in this regard.

Thanking you.

Yours faithfully,


Principal
Bhartiya Degree College
Mahendergarh (Hr.)



संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

हरियाणा संस्करण

पंजाब केसरी

आवा देने के लिए गन्ना विभाग किसानों को दे रहा अनुदान

तक, मनमोहन कथूरिया(पंजाब सी): उपायुक्त एवं सहकारी चीनी के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि रोहतक सहकारी चीनी के तहत आने वाले सभी गांवों के क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष कृषि विभाग किसानों को हावेंस्टर खरीदने पर 1 लाख तक अनुदान प्रदान करेगा। अलावा टी.एम.एस. स्कीम के विभाग ने गन्ने की नर्सरी तैयार

ने पर भी किसान को प्रोत्साहन रूप में 5 हजार रुपए का दान देने का फैसला किया है। सचिन गुप्ता ने बताया कि रोहतक सहकारी चीनी मिल के तहत वर्ष 2022-23 में जिला में गन्ने का क्षेत्र 45 हजार एकड़ से अधिक पहुंच गया था, परन्तु अब क वर्ष गन्ने के रकबे में निरंतर वृद्धि दर्ज हो रही है। इस बार रोहतक सहकारी चीनी मिल के अनुसार करीब 23 हजार एकड़ भूमि में किसानों ने गन्ना बोया है।

चरखी दादरी का धरना शुरू



जिलाधिकारी अलावा फलट जायता : जयपल प्लास्टिक का पट्टा पट प्रातःपर्व

बहादुरगढ़, प्रेम शर्मा (पंजाब केसरी): जिले में अवैध प्लास्टिक फैक्ट्रियों से उत्पन्न नागरिकों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए जिलाधीश स्वप्रिल रविंद्र पाटिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ऐसी सभी इकाइयों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश विशेष रूप से परनाला, निजामपुर रोड, बामडौली, कानौदा, खैरपुर, लडरावन, सिद्धीपुर, लोवा कलां और लोवा खुर्द क्षेत्रों में लागू होंगे। जिलाधीश द्वारा पारित आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में आवासीय एवं कृषि भूमि पर अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक औद्योगिक गतिविधियों और प्लास्टिक जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि गैरकानूनी तरीके से लिए गए बिजली कनेक्शनों से फैक्ट्रियों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों की सख्ती से पालना कराने के लिए डी.सी.पी. (मुख्यालय), डी.सी.पी. बहादुरगढ़, डिप्टी म्युनिसिपल कमिशनर, एस.ई. यू.एच.बी.वी.एन.एल., जिला नगर योजनाकार, बी.डी.पी.ओ. बहादुरगढ़ तथा नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अधिकारी इन क्षेत्रों की सतत निगरानी करेंगे और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।



पंजाब सरकार

ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण
पीयूडीए भवन, सेक्टर 62, एसएस नगर, पंजाब
निविदा संदर्भ सं. 2473 तारीख 12.11.2025

मंडल अभियंता (बागवानी-1), जीएमएडीए, एसएस नगर की ओर से "आरएफपी के लिए एसएस नगर (मोहाली) में पार्क, हरित और सड़कों के बागवानी और भूमि निर्माण कार्यों के डिजाइन के लिए परामर्शदाता फर्मों को सूचीबद्ध करने के लिए ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की गई हैं।"

प्रीबिड मीटिंग की तिथि और समय : 24.11.2025 दोपहर 12:00 बजे
समापन की तिथि और समय : 08.12.2025 सुबह 11:00 बजे
विवरण के लिए लॉग ऑन करें : <https://eproc.punjab.gov.in>
नोट:- निविदा सूचना में कोई भी शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

R.O. No. PR-Advt.No. 1324/12/2025-26/4925, Dt. 12.11.2025

BHARTIYA DEGREE COLLEGE

Chandhara Road, Mohindergarh (HR)

Affiliated to MDU Rohtak

Approved by Haryana Govt.

Contact No. 8607777855, 9215683523

Email : bhartiyadegreecollege@gmail.com

Website : bhartiyagroup.co.in

Applications are invited from only eligible candidates (As per UGC/MDU Norms) For the following positions on regular basis under SFS:

Assistant Prof in Physics-04, Chemistry-04, Botany-03, Maths-04, Home Science-03, English-04, Hindi-02, Geography-04, Sociology-02, History-01, Pol.Science-02, Commerce-02, Sanskrit-01, Computer Science-01.

Non-Teaching also Required : Librarian-01, Lab Assistant (Physics Chemistry Botany, Maths-01 each) Office-Cum Account Assistant-02, D.E.O-02, Office Supdt-01, Lab Attendant-04, Clerk-03, Store Keeper-01, Peon-02, Helper-03.
Pay Scale: As per norms given by UGC/State Govt./MDU Rohtak.

Prescribed application proforma is available in the college office or can be downloaded from the college website. Interested candidates must send their duly filled application form alongwith the self attested photocopies of all relevant certificates/ documents to the Chairman of Bhartiya degree College Mohindergarh by registered post/by hand or email within 21 days from the date of the publication of this advertisement. A copy of application form alongwith all testimonials must also be sent to Dean College Development Council, MD University, Rohtak. Candidates must attach No objection certificate form present employer.

PRESIDENT

THE GURGAON CENTRAL COOP. BANK LTD: GURGAON

Co-option of Professional Directors

The Gurgaon Central Coop. Bank Ltd. is one of the leading licensed Central Co-operative Bank in the State of Haryana. It was registered under Co-operative Societies Act in the year 1919. The Bank is carrying out banking business in accordance with B.R. Act, 1949 (AACS). The working capital of the Bank is Rs. 1673.56 Crore. The Bank is in service of peasants of General Masses and farmers etc in the area of District Gurgaon & Nuh since its inception.